



क्रमांक : प.11(3)/रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/RAcS(P)/2025/ ११७३३

दिनांक : 10/03/2025

**कार्यालय-आदेश**

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 17.03.2025 से 20.03.2025 की अवधि में आयोजित की जाने वाली राजस्थान लेखा सेवा (बैच-2024) के प्रशिक्षु अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

| Roll No. | Name of Examinee       |
|----------|------------------------|
| 01       | ABID ALI MANSOORI      |
| 02       | ADITI SUROLIA          |
| 03       | ANKITA CHOBNDAR        |
| 04       | ANUSHA JAIN            |
| 05       | BHASKAR SHARMA         |
| 06       | BINDIYA                |
| 07       | CHANAN SINGH INDA      |
| 08       | CHANDRAPRAKASH CHOUHAN |
| 09       | DEEPAK GAUR            |
| 10       | HEMRAJ MEENA           |
| 11       | JATIN MANOJ SAMARIYA   |
| 12       | KIRAN MEENA            |
| 13       | LOKESH KUMAR VERMA     |
| 14       | MANISH MEENA           |
| 15       | MONIKA SONIA           |
| 16       | NARSI RAM BISHNOI      |
| 17       | NEELAM GOSWAMI         |
| 18       | NEHA BHOJWANI          |
| 19       | OM PRAKASH             |
| 20       | PRAMOD KUMAR GURJAR    |
| 21       | PRAVEEN SINGH          |
| 22       | PRIYANKA BANSIWAL      |
| 23       | RACHNA BISHNOI         |
| 24       | RAHUL GODARA           |
| 25       | RAVINDRA PAL VISHNOI   |
| 26       | RITU BHOJWANI          |
| 27       | SANJU SARWA            |
| 28       | SEEMA MEENA            |
| 29       | SHITAL CHAUDHARY       |
| 30       | SUMAN KUMARI           |
| 31       | VIJAY KUMAR            |
| 32       | VIJAYSHREE KANWAR      |


10.03.25

| परीक्षा कार्यक्रम |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| दिनांक            | समय                                    | प्रश्न पत्र | प्रश्न पत्र का नाम/विषय                        |
| 17.03.2025        | दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक   | I           | Service Rules                                  |
| 18.03.2025        | प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक | II          | Financial and Accounts Rules                   |
|                   | दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक   | III         | Treasury Rules and Budget Manual               |
| 19.03.2025        | प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक | IV          | Commercial Accounts, RTPP Act and Rules, Store |
|                   | दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक   | V           | Public Works Accounts Rules                    |
| 20.03.2025        | प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक | VI          | Financial Management                           |

| परीक्षा केन्द्र/स्थल : एच.सी.एम. रीपा, मुख्यालय, जयपुर |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
| क्र. सं.   | परीक्षा कक्ष/हॉल का नाम | भवन का नाम     |
| 1  | संबोधि                  | कृष्णापुरी भवन |
| 2  | चैतन्यम                 |                |

**परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-**


- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 **परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।**
- 3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
- 12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

  
(धर्मन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सहायक निदेशक (सांख्यिकी) एवं  
सहायक प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड-I, अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं पाठ्यक्रम निदेशक, (संस्थानिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण RAcS बैच-2024), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
4. निजी सहायक ग्रेड-II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
6. प्रभारी अधिकारी (आयोजना एवं प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी (परिसर-कृष्णपुरी भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई एवं बैठने की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी (संस्थानिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण RAcS-बैच 2024), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
9. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
10. नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन/कृष्णपुरी भवन/विश्रान्ति)
11. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक निदेशक (सांख्यिकी) एवं  
सहायक प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)